"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2010—आश्विन 16, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/47/2010/वाक/पांच (64).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-11-2010 से 31-03-2011 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

### अनुसूची

| अ. क्र. (1) | वस्तुओं की श्रेणी (2) | छूट की सीमा (3) |
| --- | --- | --- |
| 1. | एबीएशन टरबाईन फ्यूल जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खण्ड (दो-घ) में विनिर्दिष्ट किये गए से भिन्न है. | अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. राय,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ-10/47/2010/वाक/पांच (64).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/47/2010/वाक/पांच (64), दिनांक 08-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. राय,** उप-सचिव.

Raipur, the 8th October 2010

NOTIFICATION

No. F-10/47/2010/CT/V (64).—In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said act to the extent specified in column (3) for the period from 01-11-2010 to 31-03-2011 :—

SCHEDULE

| S. No. (1) | Class of goods (2) | Extent of Exemption (3) |
|---|---|---|
| 1. | Aviation turbine fuel other than those specified in clause (ii-d) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956). | Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.